संख्या-100/2021/1273 /22-4-2021-03जी/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड, उ0प्र0,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक-11 अक्टूबर, 2021

विषयः-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में दिनांक 06.12.2016 से 31.08.2019 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में डियूटीरत रहे होमगार्ड स्वयंसेवकों के एरियर भुगतान हेतु धनराशि रू0 22,04,15,795/- (रू0 बाइस करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ पन्चानबे मात्र) को निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 का अनुपालन न किये जाने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-204/2021 मुकेश कुमार द्विवेदी बनाम श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-205/2021 राम नाथ गुप्ता बनाम श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के दृष्टिगत होमगार्ड विभाग द्वारा ई-आफिस पत्रावली संख्या-1474229-95-100(001)/9/2021 के माध्यम से दिनांक 06.12.2016 से 31.08.2019 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में डियूटीरत रहे होमगार्ड स्वयंसेवकों के एरियर भुगतान हेतु धनराशि रू0 22,04,15,795/- (रू0 बाइस करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ पन्चानबे मात्र) को महासमादेष्टा होमगार्ड के निर्वतन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30528/बजट-1 पुनर्विनियोग, दिनांक-21.09.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-1217/22-4-2021-3जी/2021, दिनांक- 11 अक्टूबर, 2021 द्वारा धनराशि रू0 2500.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए दिनांक 06.12.2016 से 31.08.2019 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में डियूटीरत रहे होमगार्ड स्वयंसेवकों के एरियर भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-25 राजस्व लेखाशीर्षक-2056-00-101-जेल-03-समस्त कारागार-00-02-मजदूरी के मानक मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 22,04,15,795/- (रू0 बाइस करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ पन्चानबे मात्र) को महासमादेष्टा होमगार्ड के निर्वतन पर रखे जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) महासमादेष्टा होमगार्ड्स विभाग द्वारा प्रश्गत धनराशि का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में निर्धारित दरों पर दावों के औचित्य का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये बिलों के आधार पर किया जाएगा।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बिल वास्तविकता के आधार पर भुगतान योग्य हैं तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए भुगतान किया जायेगा। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे कारागार विभाग को वापस किया जायेगा।

(3) बिलों के भुगतान के पूर्व महासमादेष्टा होमगार्ड्स विभाग स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ऑडिट आपत्ति के लिए महासमादेष्टा होमगार्ड्स विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(4) महासमादेष्टा, होमगार्ड्स विभाग द्वारा प्रश्नगत बिलों के भुगतान से पूर्व बिलों पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जाएगा।

(5) उक्त धनराशि के अनुदान संख्या-25 राजस्व लेखाशीर्षक-2056-00-101-जेल-03 समस्त कारागार-00-02-मजदूरी के मानक मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की गयी धनराशि रू0-2500.00 लाख से आहरित की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक दशा में दि0 31.3.2022 तक उपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। अतएव धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य कर लिया जायेगा।

(8) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महासमादेष्टा होमगार्ड समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओ के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महासमादेष्टा होमगार्ड का होगा।

(9) महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(10) महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों /सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0ओ0-179-ई-12/दस-2021, दिनांक-08 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-100/2021/1273(1)/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड, उ0प्र0 शासन।

(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को पुनर्विनियोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1217/22-4-2021-3जी/2021, दिनांक-11 अक्टूबर, 2021 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पुनर्विनियोग द्वारा की गयी धनराशि रू0 2500.00 लाख(रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) में से रू0 22,04,15,795/- (रू0 बाइस करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ पन्चानबे मात्र) को महासमादेष्टा होमगार्ड के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। अवशेष धनराशि रू0 2,95,84,205/- (रूपया दो करोड़ पन्चानवे लाख चौरासी हजार दो सौ पांच मात्र) को महानिरीक्षक, कारागार के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021- 22 में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी। शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी किया जायेगा।

(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।

(5) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in